भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4415

दिनांक 23.03.2021/ 2 चैत्र, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवादियों को वित्तपोषण के मामले

4415. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में आतंकवादियों के वित्तपोषण के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसे रोकने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, पंजीकरण करने तथा उनकी जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पुलिस की है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने अब तक, आतंकी वित्तपोषण के 94 मामले जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे हैं। आतंकी वित्तपोषण के सभी पहलुओं को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत अपराध माना गया है, जो आतंकी वित्तपोषण समेत आतंकवाद के विरूद्ध प्रमुख कानूनी व्यवस्था है। केंद्र और राज्य की विधि प्रवर्तन एजेंसियां कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार आतंकी वित्तपोषण से संबंधित अपराधों के विरूद्ध कार्रवाई करती हैं।

*****